

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व विधि की शर्तों पर है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का निर्माण (व्यापिक, राजस्विय, आवासीय या अन्य) होने की स्थिति में निर्माण कर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी भी प्रकार के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदन विभाग को सूचित करना ।
- (iv) स्वीकृत भवन के विपरीत निर्माण कार्य होने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है ।

रमल खिडनी बीकन टाउप डिजाइन कानुमार
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 165 दिनांक 09/07/2019

प्राथमिक डीपी प्रेम गोदारा को जी

ने सजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (1) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण सारि रुपये 7639/- जमा

जसिसे रसीद संख्या 1031/6315, 6316

दिनांक 09/07/2019 को जमा करा दी है ।

रंजाराम गोदारा

नंबर 10 बस स्टेशन चौक

रस्ता - गाड्ड, जोधपुर

09/07/19

सहायक नगर निगमजक
नगर निगम, जोधपुर

टाउप डिजाइन
अनुमार

Received
Chander Singh
9214071990